

दिनांक

आज्ञा पत्र

30.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्प. उपस्थित
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... 6.11.11...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 12.9.11
को पेश हो।

12.9.11

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्प. उपस्थित
पीठाधीन अधिकारी महोदय आज... 6.11.11...
पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 6.10.11
को पेश हो।

6.10.11

पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हंदायत दी गई थी कि
आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे
अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज
कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रेस्पोंडेंट्स के रजिस्टर्ड नोटिस
पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील को अपनी अपील के प्रति गम्भीर
नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज
की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुभार होकर नम्बर
से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्डुन)

